

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

भारतीय रेल में खानपान सेवायें



संघ सरकार (रेलवे) 2017 की प्रतिवेदन संख्या-13

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

भारतीय रेल में खानपान सेवायें

31 मार्च 2016 को समाप्त अविध के लिए

..... को लोकसभा/राज्य सभा में प्रस्तुत की गई

संघ सरकार (रेलवे) 2017 की प्रतिवेदन सं. 13

विषय सूची

विवरण	पैरा सं.	पृष्ठ
संक्षिप्त रूप		i
कार्यकारी सार		ii
अध्याय 1 – प्रस्तावना		
संगठनात्मक संरचना	1.1	2
लेखापरीक्षा उद्देश्य तथा परिधि	1.2	2
लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली तथा नमूना	1.3	2
लेखापरीक्षा मानदण्ड	1.4	4
आभार	1.5	4
अध्याय 2: खानपान नीति तथा योजना		
नीति निर्माण तथा योजना	2.1	5
नीति अनिश्चितता तथा इसके प्रभाव	2.2	6
पर्याप्त खानपान स्विधाओं के प्रावधान हेत् योजना	2.3	8
रसोईयान पर नीति	2.4	9
अध्याय 3: खानपान सेवाओं की उपलब्धता एवं पर्याप्तता		
विभिन्न स्टेशनों एवं ट्रेनों में खानपान सेवाओं की	3.1	12
उपलब्धता		
क्षेत्रीय रेलवे द्वारा बेस किचन की स्थापना	3.2	14
अचल खानपान इकाईयों का प्रबंधन	3.3	19
चल खानपान इकाईयों का प्रबंधन	3.4	22
आईआरसीटीसी द्वारा प्रबंधित विशिष्ट खानपान इकाईयों	3.5	24
द्वारा खानपान		
ट्रेन साईड वेडिंग (टीएसवी)	3.6	26
जनता भोजन/जन आहार की उपलब्धता	3.7	28
विभागीय खानपान इकाईयों का वितीय निष्पादन	3.8	30
अप्राधिकृत खानपान वेंडर/विक्रेता	3.9	32
अध्याय 4: खानपान ठेकों का प्रबंधन		
निर्धारित आरक्षित मूल्य और प्रस्तावित लाइसेंस श्ल्क	4.1	34
की त्लना		
खानपान लाइसेंसों के धारण पर अंतिम सीमा	4.2	36
झांसी स्टेशन में वेंडिंग हेत् अनियमित लाइसेंसिंग के	4.3	40
कारण हानि		
खानपान इकाई के लाइसेंसधारक संचालकों से विभिन्न	4.4	41
प्रभारों और जुर्माने की गैर-वसूली		

विवरण	पैरा सं.	पृष्ठ
अध्याय 5: अच्छी गुणवत्ता तथा स्वच्छ भोजन का प्रावधान		
स्वच्छता तथा सफाई	5.1	45
खानपान सेवाओं में अन्चित प्रथाओं का पालन किया	5.2	49
जाना		
खाद्य पदार्थी की ग्णवत्ता एवं ग्णवता आश्वासन के	5.3	53
लिए और जांच एवं नियन्त्रण		
क्षेत्रीय रेलवे द्वारा किये गये यात्री संत्ष्टि सर्वेक्षण	5.4	58
शिकायत निवारण प्रणाली	5.5	59
अध्याय ६: निष्कर्ष और सिफारिशें		
निष्कर्ष	6.1	62
सिफारिशें	6.2	65
परिशिष्ट		67
अनुबंध		73